

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

राजू सिंह बनाम हरबंस कौर उर्फ बंसो आदि

अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए आरटीए नम्बर 211 सन् 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/406

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	------------------------------------------------------

28.10.2024

वादी राजू सिंह पुत्र मिटठू सिंह जाति बावरी निवासी 3 एफ एफ खरलां तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए आरटीए प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 02.12.2024 को पेश हो।

सम्मत जारी

449

5/11/24

2/24

वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी स. र ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री रामदयाल ने उ.न.दी। पत्रावली वास्ते वकालतनामा व तलवी दिनांक 26/12/24 को पेश हो।

4.5
2706

1/11/24
02/11/24

26/24

अधिवक्तागण उपस्थित। वकालतनामा पेश करने हेतु समय भाता। पत्रावली वास्ते तलवी व वकालतनामा दिनांक 28/01/25 को पेश हो।

28/25

वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादी व वादी अधिवक्ता को अफ-2 फर उबार आवाप्य लगावाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92A RTA अदम पैशवी अदम हाजरी में खासिय किया जाता है। पत्रावली निगीति होकर गभर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर